प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.09.2026

थाना- भदोही

जनपद-भदोही

√थाना भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹10000/- इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

√पूर्व में जनपद में आपराधिक गतिविधियों में गिरोह बनाकर धोखाधड़ी एवं मारपीट के अपराध में संलिप्त गैंग लीडर एवं सक्रिय सदस्य सहित कुल 03 अभियुक्तों के खिलाफ थाना भदोही पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर शातिर गैंगस्टर मंसूर आलम को किया गया था गिरफ्तार

√गैंग लीडर एवं सक्रिय सदस्यों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अमानत में खयानत व धोखाधड़ी व छल करके रुपये ले लेने व रुपये मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने जैसा करते हैं जघन्य अपराध

....

दिनांक 07.09.2025 को वादी मुकदमा से 80,000 रु0 स्वेटर व कम्बल उधार लेना व पीवीसी पैनल की एजेन्सी देने के नाम पर 20,00,000/- रु0 ले लेना मांगने पर वापस न करना तथा दिनांक 14.08.2019 वादी मुकदमा को पुरानी बैटरी का व्यवसाय करने का झांसा देकर बेईमानी के नीयत से 7,70,000/- रु० भिन्न-भिन्न तिथियों में प्राप्त करने तथा रुपये मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने जैसा जघन्य अपराध किए हैं। उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना भदोही पर मु0अ0सं0- 321/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अमानत में खयानत व धोखाधड़ी व छल करके रुपये ले लेने व रुपये मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने जैसा इसका मुख्य अपराध है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

शासन/पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक भदोही *“श्री अभिनव त्यागी* ” के निर्देशन एवं *“श्री शुभम अग्रवाल”* अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.09.2026 को 10 हजार का इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त परवेज आलम पुत्र शमशेर आलम उर्फ लड्डू निवासी बाजार सरदार खां थाना भदोही जनपद भदोही उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु०अ०सं० 321/2026 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि०

2.मु०अ०सं० 404/2025 धारा 318(4)/61(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्र०नि० शैलेश कुमार राय,व उ०नि० शमशाद खां, हे०का० हरिकेश यादव, का० शाहरुख खां, का० अनुप कुमार, का० अरमान खां, का० कौशल कुमार, का० विपिन यादव एवं का० सेराफुल हसन थाना भदोही जनपद भदोही।